

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 23 नवम्बर, 2017 ई0 अग्रहायण 02, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8

संख्या 985/2017/9(120)/XXVII (8)/2017 देहरादून, 23 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तर्यों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

- 1. उक्त अधिसूचना में,
- (i) तालिका में, -
- (क) क्रम संख्या 3 के समक्ष,-
 - (क) मद (iii) में, कॉलम (3) में, "सरकार, स्थानीय निकाय अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ख) मद (vi) में, कॉलम (3) में "स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे:

- - मद (iii) और (vi) में, कॉलम (5) में, मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित (ग) की जाएगी, अर्थात:- "बशर्ते कि जहां सेवाओं की किसी सरकारी निकाय में आपूर्ति की जाती है, उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी निकाय द्वारा खरीदा जाना चाहिए था";
 - मद (vii) के लिए कॉलम (3), (4) और (5) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित (घ) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की		बशर्ते कि जहां किसी सरकारी इकाई
धारा 2 के खण्ड (119) में परिभाषित कार्य संविदा की समग्र		को सेवाएं दी जाती हैं, उन्हें केंद्र
आपूर्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय		सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र
प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई	2.5	या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा कि
को प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से धरती कार्य (जो		मामला हो, द्वारा सौंपे गए कार्यों के
कि कार्य संविदा के मूल्य का 75% से अधिक गठन का		संबंध में सरकारी इकाई द्वारा प्राप्ति की
होता है) शामिल है।		जानी चाहिए ।
(viii) यथोचित बेस लाइन के किसी निकटस्थ बिंदु से 12		
समुद्री मील से दूर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण और	6	-
उत्पादन (ई एंड पी) से संबंधित अपतटीय काम संविदा के		
संबंध में उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	ĺ	
की धारा 2 के खण्ड (119) में और संबंद सेवाओं में	Ì	
परिभाषित कार्यसंविदा की समग्र आपूर्ति।		
(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) के		
अलावा अन्य निर्माण सेवाएं ।	9	-",

- (ख) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (ii) के लिए कॉलम (5) में "या" शब्द के लिए " और होगा शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (vi) के लिए कॉलम (3) में और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

(3)	(4)	(5)
"(vi) यात्री को ले जाने के लिए		बशर्ते कि व्यवसाय (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों
डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर		को ले जानेया किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए
वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां		जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा)
ईंधन की लागत को सेवा प्राप्तकर्ता से	2.5	की समान लीक में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट
लिया जाता है।		के अलावा, सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं
		पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है।
		[कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
	या	
	6	

(घ) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

(3)	(4)	(5)
"(v) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण सं0. (iv) देखें]
	या	
	6	-
(vi) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अलावा माल परिवहन सेवाएं	9	_". -",

(इ) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नित्खित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(i) यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन को किराए पर लेना जहां ईंधन की कीमत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए जाने हेतु विचारण में शामिल किया गया है।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग किए गए माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यापार की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण सं0. (iv) देखें] या

(च) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (iii) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) 01 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े	
पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर	
	का 65 प्रतिशत ।	
	नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 01 जुलाई,	
	2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	
(iv) उपरोक्तं (i), (ii) और (iii) के अलावा वित्तीय और संबंधित सेवाएं	9	_";

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 23 नवम्बर, 2017 ई० (अग्रहायण 02, 1939 शक सम्वत्)

(3)	(4)	(5)
"(vi) 01 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े	
पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर	
	का ६५ प्रतिशत ।	-
	नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 01 जुलाई,	
	2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	
(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi)	माल में अधिकार (टाइटल) के स्थानान्तरण से	
के अतिरिक्त, ऑपरेटर के साथ या उसके बिना	जुड़े जैसे माल की आपूर्ति पर लागू होने वाले	-";
पट्टे पर या किराये की सेवाएं,	राज्य कर की समान दर	

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

- (i) मद (i) में, उप-मद (ग) हेतु, निम्निलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -"(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 71 के तहत आने वाले सभी उत्पाद;";
- (ii) मद (i) में, उप-मद (घ) के पश्चात्, निम्निलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा:-"(घक) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों की छपाई, जिस पर 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से राज्य कर लगता है;";
- (iii) मद (i) में, उप-मद (इ.) के पश्चात्, निम्निलिखित उप-मदों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: "(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 1 से 22 के तहत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;
 - (छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 23 के तहत आने वाले उत्पाद, सिवाए उक्त अध्याय की टैरिफ मद 23091000 के तहत आने वाली खुदरा ब्रिक्री हेतु रखे जाने वाला कुते और बिल्ली का भोजन;
 - (ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 69010010 के तहत आने वाली मिट्टी ईंटों का निर्माण;";
- (iv) कॉलम (3) में मद (i) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

(3)	(4)	(5)
"(iक) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं-		
(क) छाते का निर्माण;	6	_".
(ख) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 6	Ü	,
प्रतिशत की दर से राज्य कर लगता है।		

- (v) मद (ii) में उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नित्खित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-"(ग) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 2.5 या शून्य प्रतिशत की दर से राज्य कर लगता है।";
- (vi) कॉलम (3) में मद (ii) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(iiक) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर लगता है, के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं पर	6	~";
किसी भी संव्यवहार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं।		

- (vii) मद (iii) में, कोष्ठकों आंकड़ो और शब्दों "और (ii)" के लिए कोष्ठक, आंकड़े और शब्द ", (iक), (ii) और (iia)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (झ) क्रम संख्या २७ के समक्ष, कॉलम (३) में मद (i) और कॉलम (३), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
(i) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों के मुद्रण के माध्यम से सेवाएं		
[समाचार पत्रों, किताबें (ब्रेल पुस्तकें सहित), पत्रिकाओं (जर्नल्स) और पत्रिकाओं		
(पीरियोडिकल्स) सहित], जिन पर 6 प्रतिशत या 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से राज्य	6	-";
कर लगता है, जहां केवल प्रकाशक द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती है और मुद्रण हेतु		
प्रयोग किए गए कागज सहित भौतिक इनपुट प्रिंटर से संबंधित हैं।		

- (ii) पैराग्राफ 2 में, "मद (i) में" शब्दों और अंकों हेतु, "मद (i) पर, मद (iv) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (v) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ))], मद (vi) [उप-मद (ग)]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) पैराग्राफ 4 में, खण्ड (v) के पश्चात, निम्नलिखित खण्डों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः
 - "(vi) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-
 - (i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या
 - (ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।

- (vii) "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-
 - (i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या
 - (ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत समझी जायेगी।

आज्ञा से.

राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव। In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 985/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated November 23, 2017 for general information:

No. 985/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated Dehradun, November 23, 2017

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 525/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

- 1. In the said notification,
- (i) in the Table, -
- (a) against serial number 3, -
 - A. in item (iii), in column (3), for the words "Government, a local authority or a Governmental authority", the words "Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" shall be substituted;
 - B. in item (vi), in column (3), for the words "a local authority or a Governmental authority" the words "a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" shall be substituted;
 - C. in items (iii) and (vi), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:
 - "Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be";
 - D. for item (vii), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, involving predominantly earth work (that is, constituting more than 75 percent of the value of the works contract) provided to the Central Government, State Government, Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	2.5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be
(viii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 and associated services, in respect of offshore works contract relating to oil and gas exploration and production (E&P) in the offshore area beyond 12 nautical miles from the nearest point of the appropriate base line.	6	- -
(ix) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) above.	9	

- (b) against serial number 8, for item (ii), in column (5), for the word "or" the word "and" shall be substituted.
- (c) against serial number 8, for item (vi), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Transport of passengers by any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle), has not been taken. [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	6	-"•,

(d) against serial number 9, for item (v), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

8 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 23 नवम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 02, 1939 शक सम्वत्)

(3)	(4)	(5)
"(v) Transportation of natural gas through pipeline	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
		or
	6	-
(vi) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above	9	_**;

(e) against serial number 10, for item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(i) Renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle) has not been taken. [Please refer to Explanation no. (iv)]
		Or
	6	-";

(f) against serial number 15, for item (iii), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1st July 2017;	65 percent of the rate of State tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods. Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1 st July, 2020.	-
(iv) Financial and related services other than (i), (ii) and (iii) above.	9	-";

(g) against serial number 17, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1st July 2017;	65 percent of the rate of State tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods.	

	Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1 st July, 2020.	
(vii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.		_'';

- (h) against serial number 26, in column (3), -
 - (i) in item (i), for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: "(c) all products falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs
 Tariff Act, 1975 (51of 1975);";
 - (ii) in item (i), after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: "(da) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @
 2.5 percent or Nil;"
 - (iii) in item (i), after sub-item (e), the following sub-items shall be inserted, namely: -
 - "(f) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);
 - (g) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975), except dog and cat food put up for retail sale falling under tariff item 23091000 of the said Chapter;
 - (h) manufacture of clay bricks falling under tariff item 69010010 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";
 - (iv) after item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Services by way of job work in relation to-		
(a) manufacture of umbrella; (b) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract		-";

- (v) in item (ii), after sub-item (b), the following sub-item shall be inserted, namely: "(c) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @
 2.5 percent or Nil.";
- (vi) after item (ii), in columns (3), (4) and (5)in column (3) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iia) Services by way of any treatment or process on goods belonging to		,,,
another person, in relation to printing of all goods falling under Chapter	0	_ ,
48 or 49, which attract SGST @ 6 percent		

- (vii) in item (iii), for the word, brackets and figures "and (ii)" the figures, brackets, letters and word ", (ia), (ii) and (iia)" shall be substituted;
- against serial number 27, for item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating (i) thereto in, the following shall be substituted, namely: -

(i) Services by the State of S	(4)	(5)
(i) Services by way of printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 [including newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals], which attract SGST @ 6 percent or 2.5 percent or Nil, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.	~	

- in paragraph 2, for the words, brackets and figures "at item (i)", the words, brackets, figures and letters, "at item (i), item (iv) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (v) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (vi) [sub-item (c)]" shall be substituted;
- in paragraph 4, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely: -(iii)
 - "(vi) "Governmental Authority" means an authority or a board or any other body, -
 - (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
 - (ii) established by any Government,
 - with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.
- (vii) "Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,
 - i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
 - ii) established by any Government,
 - with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".
- This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017. 2.

By Order,

RADHA RATURI, Principal Secretary.